भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान दिल्ली

08 मई, 2025 को अपराह्न 04:30 बजे सीनेट कक्ष में ऑनलाइन आयोजित बोर्ड ऑफ़ गवर्नर्स की 221वीं बैठक के कार्यवृत्त

बोर्ड ऑफ़ गवर्नर्स की 221वीं बैठक 8 मई, 2025 को शाम 04.30 बजे सीनेट रूम / ऑनलाइन आयोजित की गई थी।

उपस्थित:

1. *अधिवक्ता हरीश साल्वे -अध्यक्ष
2. प्रो. रंगन बनर्जी, निदेशक, आई.आई.टी. दिल्ली -सदस्य
3. *श्री सुमंत सिन्हा, अध्यक्ष और सी.ई.ओ., रिन्यू पावर लिमिटेड - सदस्य
4. प्रो. वी.के. तिवारी, पूर्व निदेशक, आई.आई.टी. खड़गपुर - सदस्य
5. प्रो. यू.पी. सिंह, उप. निदेशक, आई.आई.टी. रूड़की - सदस्य
6. प्रो. एम.आर. रवि, यांत्रिक इंजीनियरी, आई.आई.टी. दिल्ली - सदस्य
7. प्रो. ए.के. नेमा, सिविल इंजीनियरी, आई.आई.टी. दिल्ली - सदस्य
8. प्रो. टी.आर. श्रीकृष्णन, उप निदेशक (प्रचालन), आई.आई.टी. दिल्ली -विशेष आमंत्रिती
9. प्रो. अंबुज सागर, उप. निदेशक (नीति एवं योजना), आई.आई.टी. दिल्ली -विशेष आमंत्रिती
10. प्रो. नारायणन डी. कुरुर, संकायाध्यक्ष (अकादमिक), आई.आई.टी.दिल्ली -विशेष आमंत्रिती
11. प्रो. विवेक वी. बुवा, संकायाध्यक्ष (योजना), आई.आई.टी. दिल्ली -विशेष आमंत्रिती
12. प्रो. कृष्णा एम.अच्युताराव, संकायाध्यक्ष (संकाय), आई.आई.टी. दिल्ली -विशेष आमंत्रिती
13. प्रो. दीप्ति रंजन साहू, संकायाध्यक्ष (अवसंरचना), आई.आई.टी. दिल्ली -विशेष आमंत्रिती
14. श्री अतुल व्यास, कुलसचिव - सचिव

* ऑनलाइन उपस्थित

सुश्री सौम्या गुप्ता, संयुक्त सचिव (टी.ई.), एम.ओ.ई. और सुश्री नंदिनी पालीवाल, सचिव (टी.टी.ई.), राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार बैठक में शामिल नहीं हो सके।

सचिव, बोर्ड ऑफ़ गवर्नर्स ने अध्यक्ष और सभी सदस्यों का बैठक में स्वागत किया। "अध्यक्ष, बोर्ड ऑफ़ गवर्नर्स ने बोर्ड के सभी सदस्यों के प्रति अपना आभार व्यक्त किया और बैठक की शुरुआत की।

मद संख्या 1: "29.01.2025 को आयोजित बोर्ड ऑफ़ गवर्नर्स की 220वीं बैठक की कार्यवृत्त की पुष्टि करना।"

बोर्ड ऑफ़ गवर्नर्स की 220वीं बैठक के कार्यवृत्त को प्रसारित किए जाने के अनुसार पुष्टि की गई।

मद संख्या 2: "बोर्ड ऑफ़ गवर्नर्स की पिछली बैठक (बैठकों) के निर्णयों पर की गई कार्रवाई की रिपोर्ट प्राप्त की गयी।"

बोर्ड ऑफ़ गवर्नर्स की पिछली बैठक(बैठकों) के निर्णयों पर की गई कार्रवाई की वर्तमान स्थिति की सूचना बोर्ड को दी गई:

(i) आर.पी.आर.-2022 के कार्यान्वयन के परिणाम स्वरूप स्टाफ सदस्यों के सभी प्रतिनियुक्तियों पर विचार करने के लिए गठित समिति की अनुशंसा पर विचार करना और उन्हें अनुमोदित करना।

बोर्ड को सूचित किया गया कि निदेशक ने अध्यक्ष को मसौदा नोट भेजा है और अध्यक्ष अब प्रस्ताव मंत्रालय को भेजेंगे।

(ii) आई.आई.टी. दिल्ली झज्जर परिसर, हरियाणा में बाउंड्री वॉल तथा गार्ड रूम सह कार्यालय के निर्माण के लिए संशोधित प्रशासनिक अनुमोदन और व्यय मंजूरी।
झज्जर परिसर में अवसंरचना विकास के लिए अनुमानित मोटा लागत मूल्य पर विचार करना और उसे अनुमोदित करना।
बोर्ड को सूचित किया गया कि भूमि समर्पित करने के लिए हरियाणा सरकार को पत्र भेजा गया है और मामले का सक्रिय रूप से अनुसरण किया जा रहा है।

(iii) आई.आई.टी. दिल्ली में 414 सीट क्षमता वाले नई लड़कियों के लिए छात्रावास निर्माण के लिए संशोधित प्रारंभिक अनुमान।

बोर्ड ने नोट किया कि सी.पी.डब्ल्यू.डी. ने अब तक 44.25 करोड़ रुपये की प्रशासनिक स्वीकृति एवं व्यय स्वीकृति (A/A & E/S) राशि से आगे कोई और मांग नहीं की है।

(iv) सार्वजनिक डोमेन के लिए नहीं।

(v) आर.के.पुरम भूमि पर आवासीय अपार्टमेंट के निर्माण के लिए प्रशासनिक अनुमोदन और व्यय स्वीकृति पर विचार करना और उसे अनुमोदित करना।
बोर्ड ने नोट किया कि आर्किटेक्ट द्वारा प्रस्तुत विस्तृत अनुमान की समीक्षा की जा रही है।

(vi) राइट्स (RITES) को सौंपी गई परियोजनाओं के लिए संशोधित अधिकतम स्वीकार्य मानदंडों के अनुसार सभी 5 परियोजनाओं की ऊंचाई बढ़ाने के लिए "सैद्धांतिक" अनुमोदन पर विचार करना।

बोर्ड को सूचित किया गया कि अधिकतम स्वीकार्य ऊँचाई वाली संशोधित भवन योजनाओं को भवन और कार्य समिति के परामर्श से अंतिम रूप दिया जा रहा है।

(vii) संस्थान की वेबसाइट पर बोर्ड ऑफ़ गवर्नर्स, सीनेट तथा अन्य वैधानिक समितियों की बैठक के कार्यवृत्त को अपलोड करने के प्रस्ताव पर विचार करना और उसे अनुमोदित करना।

बोर्ड को सूचित किया गया कि कार्यवृत्त अपलोड करने के लिए एक पोर्टल बनाया गया है और पुष्टि के बाद कार्यवृत्त वेबपेज पर अपलोड कर दिए जाएंगे।

कार्रवाई प्रतिवेदन में अन्य विषयों को नोट किया गया।

मद संख्या 3: 29.01.2025 को हुई बैठक के बाद से संस्थान की प्रमुख गतिविधियों / प्रगति या उपलब्धियों पर निदेशक की रिपोर्ट को बोर्ड ऑफ़ गवर्नर्स के समक्ष प्रस्तुत करना।

निदेशक ने 29.01.2025 को आयोजित बोर्ड ऑफ़ गवर्नर्स की पिछली बैठक के बाद से संस्थान की प्रगति रिपोर्ट और गतिविधियों की झलक प्रस्तुत की (परिशिष्ट-1)।बोर्ड ने संस्थान की नई उपलब्धियाँ हासिल करने में उनके नेतृत्व के लिए निदेशक के प्रति अपना आभार व्यक्त किया।

मद संख्या 4: वित्तीय वर्ष 2024-25 में 31-03-2025 तक चल रहे परियोजनाओं के व्यय तथा वित्तीय एवं भौतिक प्रगति की स्थिति पर विचार करना और उसे अनुमोदित करना।

व्यय की स्थिति तथा वित्तीय और भौतिक प्रगति बोर्ड ऑफ़ गवर्नर्स (BoG) के समक्ष प्रस्तुत की गई। बोर्ड ऑफ़ गवर्नर्स (BoG) को 31.03.2025 तक संस्थान द्वारा किए गए व्यय/अव्ययित शेष राशि की स्थिति से अवगत कराया गया (परिशिष्ट–2)। चल रही परियोजनाओं की वित्तीय और भौतिक प्रगति की जानकारी भी बोर्ड को दी गई। बोर्ड ऑफ़ गवर्नर्स (BoG) ने प्रमुख अवसंरचना परियोजनाओं के व्यय, वित्तीय और भौतिक स्थिति के उपयोग की गति पर ध्यान दिया।

मद संख्या 5: संस्थान के लिए HEFA (चरण I, चरण II और चरण III) के तहत लिए गए ऋण की स्थिति की रिपोर्ट प्रस्तुत करना।

बोर्ड ऑफ़ गवर्नर्स (BoG) को विभिन्न परियोजनाओं के लिए HEFA (चरण-I, चरण-II और चरण-III) के तहत प्राप्त ऋण की स्थिति से अवगत कराया गया जो निम्नानुसार है:

<u>चरण I:</u> ₹ 203.60 करोड़ (स्वीकृति तिथि: 17.01.2018)

(₹. करोड़ में)

क्रम सं.	गतिविधि का नाम	प्रस्तावित परिव्यय/मांग	स्वीकृत राशि	31-03-2025 तक जारी/प्राप्त ऋण
1.	पुरुष छात्रावास "E" का निर्माण, दिल्ली	84.34	84.34	84.34
2.	414 एकल सीट क्षमता वाले महिला छात्रावास का निर्माण	39.26	39.26	38.46

3.	केंद्रीय अनुसंधान सुविधा (सी.आर.एफ.) भवन का निर्माण	15.00	15.00	15.00
4.	आई.आई.टी. दिल्ली के सोनीपत परिसर में सी.आर.एफ. के लिए उपकरण	65.00	65.00	48.81
5.	कुल (चरण-I)	203.60	203.60	186.61

चरण-II: ₹.321.40 करोड़ और ₹.63.08 करोड़ (स्वीकृति दिनांक: 07.01.2019 और 06.06.2019)

(₹. करोड़ में)

क्रम सं.	गतिविधि का नाम	प्रस्तावित परिव्यय/मांग	स्वीकृत राशि	31-03-2025 तक जारी/प्राप्त ऋण
1.	इंजीनियरी ब्लॉकों (99बी और 99सी, शैक्षणिक क्षेत्र) का निर्माण	238.21	238.21	190.65
2.	फैकल्टी हाउस का निर्माण (37बी वेस्ट कैंपस)	101.11	101.11	101.11
3.	नालंदा शोधार्थी अपार्टमेंट का पुनर्विकास।	29.85	29.85	28.10
4.	आई.आई.टी. दिल्ली के झज्जर, हरियाणा में विस्तारित परिसर का विकास -परिसर की दीवार का निर्माण"	3.12	3.12	0.31
5.	आई.आई.टी. दिल्ली में इनडोर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का निर्माण	12.19	12.19	11.00
	कुल (चरण-II)	384.48	384.48	11.00

चरण-III ₹35.36 करोड़ (स्वीकृति दिनांक: 02.07.2021)

(₹. करोड़ में)

क्रम सं.	गतिविधि का नाम	प्रस्तावित परिव्यय/मांग	स्वीकृत राशि	31-03-2025 तक जारी/प्राप्त ऋण
1.	नालंदा शोध छात्रावास चरण-II का निर्माण	35.36	35.36	21.54
2.	कुल	35.36	35.36	21.54

(₹. करोड़ में)

क्रम सं.	गतिविधि का नाम	प्रस्तावित परिव्यय/मांग	स्वीकृत राशि	31-03-2025 तक जारी/प्राप्त ऋण
1.	चरण-I+II+III	623.44	623.44	623.44

HEFA ऋण लेने के बाद की अन्य लेन-देन और अनुपालन का विवरण निम्नलिखित है:-

(₹. करोड़ में)

गतिविधि का नाम	तक	राशि
मुख्य राशि की अदायगी के लिए एस्क्रो खाता	31-03-2025	390.44
ब्याज की अदायगी के लिए एस्क्रो खाता	31-03-2025	82.83
ब्याज के पुनर्भुगतान के लिए मंत्रालय से प्राप्त अनुदान (ओ.एच.-31 के तहत)	31-03-2025	83.21
प्राप्त ₹ 515.54 के मूलधन सावधि ऋण पर ऋण की पुनर्भुगतान	31-03-2025	330.38
बैंक को दिया गया ब्याज	31-03-2025	84.86

(₹. करोड़ में)

वित्तीय वर्ष के अनुसार जारी/प्राप्त ऋण	चरण-I	चरण-II	चरण-III	कुल
2018-2019	17.29	49.02	-	66.31
2019-2020	72.10	71.81	-	143.91
2020-2021	52.90	81.92	-	134.82
2021-2022	30.66	26.11	-	55.77
2022-2023	10.13	27.00	3.53	40.66
2023-2024	2.61	60.31	9.65	72.57
कुल (2018-2024 तक)	185.69	316.17	13.18	515.04
2024-2025 (31-03-2025)	0.92	15.00	8.36	24.28
कुल	186.61	331.17	21.54	539.32

मद संख्या 6: संकाय यात्रा अनुदान के प्रस्ताव पर विचार करना और उसे अनुमोदित करना।

बोर्ड को सूचित किया गया था कि इस विषय पर दिनांक 25.04.2025 को वित्त समिति की 136वीं बैठक में चर्चा की गई तथा वित्त समिति ने अनुमोदन के लिए बोर्ड ऑफ़ गवर्नर्स को इसकी अनुशंसा की थी।

बोर्ड ने चर्चा के बाद निम्नलिखित निर्णय लिए:

<u>संकल्प संख्या BG/19/2025:</u>	यह निर्णय लिया गया कि: संकाय यात्रा अनुदान के प्रस्ताव के संबंध में वित्त समिति की सिफारिशों को नीचे दी गई नीति के अनुसार अनुमोदित किया जाए:
	1. राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों में संकाय सदस्यों की भागीदारी के लिए तीन वर्ष की ब्लॉक अवधि हेतु संस्थान के संसाधनों (जैसे संस्थान की आय, आई.आर.डी. या अक्षय निधि) के माध्यम से 2 लाख रुपये का अतिरिक्त संकाय यात्रा अनुदान निम्नलिखित शर्तों के अंतर्गत होगा : (क) जिन संकाय सदस्यों ने अपने PDA का पूरी तरह से उपयोग किया है, वे इस संकाय यात्रा अनुदान के पात्र होंगे। (ख) यह अनुदान केवल राष्ट्रीय/अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों में आमंत्रित व्याख्यान देने या शोध कार्य प्रस्तुत करने के लिए ही उपयोग किया जा सकता है। (ग) यह अनुदान केवल राष्ट्रीय/अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों में भागीदारी जैसे राष्ट्रीय/अंतर्राष्ट्रीय यात्रा, सम्मेलन पंजीकरण शुल्क, आवास, वीजा, बीमा, दैनिक भत्ता और संबद्ध खर्चों से संबंधित खर्चों को कवर कर सकता है। इसका उपयोग इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों, पुस्तकों, रसायनों, उपभोग्य सामग्रियों आदि की खरीद के लिए नहीं किया जा सकता है। केवल इकोनॉमी क्लास यात्रा की अनुमति है। (घ) पी.डी.ए. को संशोधित करने के बाद इस अनुदान के प्रावधान की समीक्षा की जाएगी। 2. आई.आर.डी. द्वारा पहले से प्रदान किए गए 1 लाख रुपये के सहयोग के साथ, प्रस्तावित "संकाय यात्रा अनुदान" 3 वर्षों की ब्लॉक अवधि के लिए 3 लाख रुपये का होगा। यह भी निर्णय लिया गया कि : निदेशक को अधिकृत किया जाए -

	(क) निधियों की उपलब्धता के आधार पर, उपयुक्त वित्तीय स्रोत (जैसे संस्थान राजस्व या आई.आर.डी. या अक्षय निधि) का निर्णय लेने के लिए। (ख) "[(1) (क)-(घ)] जैसा आवश्यक हो, संकाय यात्रा अनुदान के उपयोग के लिए निर्धारित शर्तों में संशोधन करना।"

मद संख्या 7: हितकारी निधि योजना में संशोधनों पर विचार करना और उन्हें अनुमोदित करना।

बोर्ड को सूचित किया गया था कि वित्त समिति की 25.04.2025 को आयोजित 136वीं बैठक में इस विषय पर चर्चा की गई थी और वित्त समिति ने अनुमोदन के लिए बोर्ड ऑफ़ गवर्नर्स को इसकी अनुशंसा की।

बोर्ड ने चर्चा के बाद निम्नलिखित निर्णय लिए:

संकल्प संख्या BG/20/2025:	यह निर्णय लिया गया कि: वित्त समिति द्वारा हितकारी निधि योजना में किए गए संशोधनों संबंधी अनुशंसाओं, जो [परिशिष्ट-3] में दिए गए हैं, को अनुमोदित किया जाए।

मद संख्या 8: संस्थान के ओवरहेड नीति पर चर्चा करना और विचार करना।

बोर्ड को सूचित किया गया था कि वित्त समिति की दिनांक 25.04.2025 को आयोजित 136वीं बैठक में इस विषय पर चर्चा की गयी थी और वित्त समिति ने अनुमोदन के लिए बोर्ड ऑफ़ गवर्नर्स को इसकी अनुशंसा की।

बोर्ड ने चर्चा के बाद निम्नलिखित निर्णय लिए:

संकल्प संख्या BG/21/2025:	यह निर्णय लिया गया कि: [परिशिष्ट-4] में दी गई संस्थान ओवरहेड नीति के संबंध में वित्त समिति की अनुशंसाओं को अनुमोदित किया जाए।

मद संख्या 9: 11.04.2025 तक के लेखापरीक्षा के लंबित पैरा की समीक्षा स्थिति पर विचार करना और उसे अनुमोदित करना।

बोर्ड के साथ लंबित बाहरी लेखापरीक्षा पैरा की स्थिति साझा की गई। बोर्ड ने वर्ष 2023-24 के लिए डी.जी.ए.सी.ई. द्वारा जारी पृथक लेखापरीक्षा रिपोर्ट और सर्टिफिकेशन ऑडिट का प्रबंधन पत्र का भी उल्लेख किया।

बोर्ड ने नोट किया कि 57 (44 पिछले और 13 नए) बाहरी लेखापरीक्षा पैरा अभी भी लंबित थे।

बोर्ड ने निर्देश दिया कि लंबित पैरा को यथाशीघ्र निपटाने के प्रयास किए जाएं।

मद संख्या 10: पॉकेट भत्ता, मेरिट-कम-मीन्स छात्रवृत्ति और वार्षिक पारिवारिक आय सीमा में संशोधन के प्रस्ताव पर विचार करना।

बोर्ड को सूचित किया गया कि वित्त समिति की दिनांक 25.04.2025 को आयोजित 136वीं बैठक में इस विषय पर चर्चा की गई तथा वित्त समिति ने इसे अनुमोदन के लिए बोर्ड ऑफ़ गवर्नर्स को इसकी अनुशंसा की।

बोर्ड ने चर्चा के बाद निम्नलिखित निर्णय लिए:

संकल्प संख्या BG/22/2025:	यह निर्णय लिया गया कि: नीचे दी गई नीति के अनुसार पॉकेट भत्ता, मेरिट-कम-मीन्स छात्रवृत्ति और वार्षिक पारिवारिक आय सीमा में संशोधन के संबंध में वित्त समिति की अनुशंसाओं के अनुसार अनुमोदित किया जाए: 1. अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों के लिए मासिक पॉकेट भत्ता ₹250 से बढ़ाकर ₹1000 किया गया। 2. पात्र विद्यार्थियों को दी जाने वाली मेरिट-कम-मीन्स छात्रवृत्ति की राशि को ₹1000 से बढ़ाकर ₹4000 प्रति माह किया जाए। 3. फ्री मेस और पॉकेट भत्ता और मेरिट-कम-मीन्स छात्रवृत्ति के पात्रता हेतु वार्षिक पारिवारिक आय सीमा को वर्तमान ई.डब्ल्यू.एस. आय सीमा (अर्थात वर्तमान में 8 लाख रुपये प्रति वर्ष) के रूप में रखी गयी। 4. अतिरिक्त वित्तीय प्रभाव को संस्थान द्वारा उपयुक्त आंतरिक संसाधनों से वहन किया जाए। 5. सी.पी.आई. मुद्रास्फीति के आधार पर प्रत्येक 3 वर्षों में इन भत्तों के आवधिक संशोधन का प्रस्ताव किया गया।

मद संख्या 11: विदेशी संकाय गृह यात्रा योजना पर विचार करना और उसे अनुमोदित करना।

बोर्ड को सूचित किया गया था कि वित्त समिति की दिनांक 25.04.2025 को आयोजित 136वीं बैठक में इस विषय पर चर्चा की गई तथा वित्त समिति ने अनुमोदन के लिए बोर्ड ऑफ़ गवर्नर्स को इसकी अनुशंसा की।

बोर्ड ने चर्चा के बाद निम्नलिखित निर्णय लिए:

संकल्प संख्या BG/23/2025:	यह निर्णय लिया गया कि: नीचे दी गई नीति के अनुसार विदेश संकाय गृह यात्रा योजना के संबंध में वित्त समिति की अनुशंसाओं को अनुमोदित किया जाए। 1. विदेशी संकाय को अपने पति या पत्नी और अधिक से अधिक दो आश्रित बच्चों (18 वर्ष की आयु तक) के साथ गृहनगर की यात्रा करने की अनुमति दी गयी (जैसा कि शामिल होने के समय सेवा पुस्तिका में घोषित किया गया है)।

	2. विदेशी संकाय आई.आई.टी. दिल्ली में 1 वर्ष की सतत सेवा के पश्चात ही उपर्युक्त गृह यात्रा योजना का लाभ लेने के पात्र है। 3. यह सुविधा प्रत्येक दो वर्ष की सेवा में एक बार ही प्राप्त की जा सकती है। 4. हवाई यात्रा के लिए प्रतिपूर्ति की राशि सबसे छोटे मार्ग के इकॉनमी-क्लास के टिकट की लागत तक ही देय होगी। 5. यात्रा के भुगतान की प्रतिपूर्ति IRG या Non-MoE निधि से की जाएगी।

मद संख्या 12: वित्तीय वर्ष 2025-26 में एम.ओ.ई. (MoE) द्वारा Support to IITs (0920) योजना के अंतर्गत निधियों का बजट आवंटन की रिपोर्ट प्रस्तुत करना।

वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए Support to IITs (0920) योजना के अंतर्गत बजट आवंटन, अवर सचिव, उच्च शिक्षा विभाग, शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा अपने पत्र संख्या 27-1/2025-TS-1 दिनांक 21-04-2025 के माध्यम से बोर्ड ऑफ़ गवर्नर को सूचित किया गया था। बोर्ड ने निम्नलिखित बजट आवंटन का उल्लेख किया:

(₹. करोड़ में)

आवंटित बजट 2025-26 ("Support to IITs – योजना कोड 0920 के अंतर्गत")			
OH-31	OH-35	OH-36	कुल
460.00	90.00	354.91	904.91

<u>मद संख्या 13</u>: बी.टेक. कार्यक्रम में टेक्सटाइल और फाइबर इंजीनियरी विभाग द्वारा नाम परिवर्तन के संबंध में प्राप्त प्रस्ताव- 'बी.टेक. इन टेक्सटाइल टेक्नॉलजी का नाम परिवर्तित कर 'बी.टेक. इन टेक्सटाइल एंड फाइबर इंजीनियरी' पर विचार करना।

बी.टेक. कार्यक्रम में टेक्सटाइल और फाइबर इंजीनियरी विभाग द्वारा 'बी.टेक. इन टेक्सटाइल टेक्नॉलजी का नाम बदलकर 'बी.टेक. इन टेक्सटाइल एंड फाइबर इंजीनियरी' करने का प्रस्ताव बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत किया गया।"

बोर्ड ने बताया कि इस प्रस्ताव को सीनेट द्वारा संकल्प संख्या 2025/232/1 के माध्यम से अनुशंसित किया गया है, जिसे बोर्ड ऑफ़ गवर्नर्स के समक्ष प्रस्तुत किया जाना है।

बोर्ड ने प्रस्ताव पर विस्तार से चर्चा की और निम्नलिखित निर्णय लिए:

<u>संकल्प संख्या BG/24/2025:</u>	यह निर्णय लिया गया कि: बी.टेक. कार्यक्रम में टेक्सटाइल और फाइबर इंजीनियरी विभाग का नाम 'बी.टेक. इन टेक्सटाइल टेक्नॉलजी से बदलकर 'बी.टेक. - टेक्सटाइल एंड फाइबर इंजीनियरी' करने हेतु सीनेट की अनुशंसा को अनुमोदित किया जाए।

मद संख्या 14 : टेक्सटाइल और फाइबर इंजीनियरी विभाग द्वारा प्रस्तावित दो एम.टेक. कार्यक्रमों — एम.टेक. (फाइबर साइंस एंड टेक्नोलॉजी) तथा एम.टेक. (टेक्सटाइल केमिकल प्रोसेसिंग) — को एक एकीकृत कार्यक्रम 'एम.टेक. (फाइबर इंजीनियरी एंड टेक्सटाइल केमिकल प्रोसेसिंग)' में विलय करने के प्रस्ताव पर विचार करना।

टेक्सटाइल और फाइबर इंजीनियरी विभाग द्वारा एम.टेक. (फाइबर साइंस एंड टेक्नॉलजी) और एम.टेक. (टेक्सटाइल केमिकल प्रोसेसिंग) — इन दो एम. टेक. कार्यक्रमों को एक एकीकृत कार्यक्रम 'एम.टेक. (फाइबर इंजीनियरी एवं टेक्सटाइल केमिकल प्रोसेसिंग)' में विलय करने का प्रस्ताव बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत किया गया।

बोर्ड ने बताया कि इस प्रस्ताव को सीनेट द्वारा संकल्प संख्या 2025/232/2 के माध्यम से अनुशंसित किया गया है, जिसे बोर्ड ऑफ़ गवर्नर्स के समक्ष प्रस्तुत किया जाना है।

बोर्ड ने प्रस्ताव पर विस्तार से चर्चा की और निम्नलिखित निर्णय लिए:

संकल्प संख्या BG/25/2025:	यह निर्णय लिया गया कि: टेक्सटाइल और फाइबर इंजीनियरी विभाग द्वारा दो एम.टेक. कार्यक्रम— एम.टेक. (फाइबर साइंस एंड टेक्नॉलजी) एवं एम.टेक. (टेक्सटाइल केमिकल प्रोसेसिंग) —को एक एकीकृत कार्यक्रम 'एम.टेक. (फाइबर इंजीनियरी एवं टेक्सटाइल केमिकल प्रोसेसिंग)' में विलय करने के संबंध में सीनेट की अनुशंसा को अनुमोदित किया जाए।

मद संख्या 15: पदार्थ विज्ञान एवं इंजीनियरी विभाग द्वारा प्रस्तावित एम. टेक. में 'पॉलीमर साइंस एंड टेक्नॉलजी कार्यक्रम को बंद करने और इसे मौजूदा एम. टेक. कार्यक्रम के अंतर्गत एक विशेषीकरण के रूप में एकीकृत करने के प्रस्ताव पर विचार करना।

पदार्थ विज्ञान एवं इंजीनियरी विभाग द्वारा प्रस्तावित एम.टेक. में 'पॉलीमर साइंस एंड टेक्नॉलजी कार्यक्रम को बंद करने और इसे मौजूदा एम.टेक कार्यक्रम में एक विशेषीकरण के रूप में शामिल करने का प्रस्ताव बोर्ड के सामने पेश किया गया। बोर्ड ने बताया किया कि इस प्रस्ताव को सीनेट ने संकल्प संख्या 2025/232/3 के माध्यम से बोर्ड ऑफ़ गवर्नर्स के समक्ष प्रस्तुत करने की अनुशंसा की थी।

बोर्ड ने प्रस्ताव पर विस्तार से चर्चा की और निम्नलिखित निर्णय लिए:

संकल्प संख्या BG/26/2025:	यह निर्णय लिया गया कि: पदार्थ विज्ञान एवं इंजीनियरी विभाग ने एम.टेक. कार्यक्रम में 'पॉलीमर साइंस एंड टेक्नॉलजी को समाप्त करने और इसे वर्तमान में संचालित एम.टेक कार्यक्रम में एक विशेषीकरण के रूप में एकीकृत करने संबंधी प्रस्ताव पर सीनेट की अनुशंसा को अनुमोदित किया जाए।

मद संख्या 16: रसायन विज्ञान विभाग द्वारा नए यू.जी. कार्यक्रम 'B.S. इन केमिस्ट्री' के प्रस्ताव पर विचार करना।

रसायन विज्ञान विभाग द्वारा एक नए यू.जी. कार्यक्रम 'B.S. इन केमिस्ट्री' का प्रस्ताव बोर्ड के सामने पेश किया गया।

बोर्ड ने नोट किया की इस प्रस्ताव को सीनेट ने संकल्प संख्या 2025/232/4 के माध्यम से बोर्ड ऑफ़ गवर्नर्स के समक्ष प्रस्तुत करने की अनुशंसा की थी।

बोर्ड ने प्रस्ताव पर विस्तार से चर्चा की और निम्नलिखित निर्णय लिए:

संकल्प संख्या BG/27/2025:	यह निर्णय लिया गया कि: रसायन विज्ञान विभाग में 'B.S इन केमिस्ट्री' का नया यू.जी. कार्यक्रम शुरू करने के प्रस्ताव के संबंध में सीनेट की अनुशंसाओं को अनुमोदित किया जाए। यह भी निर्णय लिया गया कि: बी.एस. कार्यक्रम के लिए टेम्प्लेट वही होगा (समान होगा) जो बी.टेक. कार्यक्रम के लिए है ।

मद संख्या 17: ऑप्टिक्स एवं फोटोनिक्स केंद्र द्वारा प्रस्तुत फोटोनिक्स में एम.टेक. तथा एम.एस. (रिसर्च) के प्रस्ताव पर विचार करना।

ऑप्टिक्स एवं फोटोनिक्स केंद्र द्वारा फोटोनिक्स में एम.टेक. तथा एम.एस. (रिसर्च) कार्यक्रमों का प्रस्ताव बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत किया गया।

बोर्ड ने संज्ञान लिया कि उक्त प्रस्ताव को सीनेट द्वारा संकल्प सं. 2025/232/5 के माध्यम से बोर्ड ऑफ़ गवर्नर्स के समक्ष प्रस्तुत किए जाने की अनुशंसा की गई थी।

बोर्ड ने प्रस्ताव पर विस्तार से चर्चा की और निम्नलिखित निर्णय लिए:

संकल्प संख्या BG/28/2025:	यह निर्णय लिया गया कि: ऑप्टिक्स एवं फोटोनिक्स केंद्र द्वारा फोटोनिक्स में एम.टेक. एवं एम.एस. (रिसर्च) कार्यक्रम प्रारंभ करने संबंधी प्रस्ताव पर सीनेट की अनुशंसाओं को अनुमोदित किया गया।

मद संख्या 18: सिविल इंजीनियरी विभाग' का नाम बदलकर 'सिविल एवं पर्यावरणीय इंजीनियरी विभाग' किए जाने के प्रस्ताव पर विचार करना।

सिविल इंजीनियरिंग विभाग' का नाम बदलकर 'सिविल एवं पर्यावरणीय इंजीनियरी' किए जाने का प्रस्ताव बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत किया गया।

बोर्ड ने संज्ञान लिया कि 26.03.2025 को आयोजित 232वीं बैठक में सीनेट द्वारा प्रस्ताव बोर्ड ऑफ़ गवर्नर्स के समक्ष प्रस्तुत करने की अनुशंसा की थी।

बोर्ड ने प्रस्ताव पर विस्तार से चर्चा की और निम्नलिखित निर्णय लिए:

संकल्प संख्या BG/29/2025:	यह निर्णय लिया गया कि: 'सिविल इंजीनियरी विभाग' का नाम बदलकर 'सिविल एवं पर्यावरणीय इंजीनियरी' करने संबंधी प्रस्ताव पर सीनेट की अनुशंसाओं को अनुमोदित किया जाए।

मद संख्या 19: संस्थान द्वारा संचालित ऑनलाइन पी.जी. डिप्लोमा कार्यक्रमों के लिए प्रारूप (ड्राफ्ट) पी.जी. प्रमाणपत्र टेम्प्लेट पर विचार करना और उसे अनुमोदित करना।

संस्थान द्वारा संचालित ऑनलाइन पी.जी. डिप्लोमा कार्यक्रमों के लिए प्रारूप पी.जी. प्रमाणपत्र टेम्पलेट का प्रस्ताव बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत किया गया।

बोर्ड ने संज्ञान लिया कि उक्त प्रस्ताव को सीनेट द्वारा संकल्प सं. 2025/231/1 के माध्यम से बोर्ड ऑफ़ गवर्नर्स के समक्ष प्रस्तुत करने की अनुशंसा की थी।

बोर्ड ने प्रस्ताव पर विस्तार से चर्चा की और निम्नलिखित निर्णय लिए:

संकल्प संख्या BG/30/2025:	यह निर्णय लिया गया कि: ऑनलाइन पी.जी. डिप्लोमा कार्यक्रमों के लिए ड्राफ्ट पी.जी. प्रमाणपत्र टेम्प्लेट के संबंध में सीनेट अनुशंसाओं को, जैसा कि परिशिष्ट-5 में दिया गया है, को अनुमोदित किया जाए।

मद संख्या 20: आर.पी.आर. - 2022 के प्रावधानों के अनुसार स्टाफ कर्मचारियों की संख्या के संशोधित वितरण पर विचार करना।

बोर्ड को बताया गया कि BoG ने दिनांक 31.10.2019 को अपनी 202वीं बैठक में संकल्प संख्या BG/46/2019 के अंतर्गत विद्यार्थियों की बढ़ती संख्या को देखते हुए, अनुमोदित संकाय और स्टाफ कर्मचारियों की संख्या में MHRD (अब MoE) के दिशानिर्देशों के अनुसार बढ़ोतरी हेतु स्वीकृति प्रदान की थी। इसके अनुसार, स्वीकृत संकाय संख्या 776 से बढ़ाकर 1093 की गई तथा स्वीकृत कर्मचारी संख्या 854 से बढ़ाकर 1200 की गई।

बोर्ड को आगे बताया गया कि भर्ती और पदोन्नति नियम केवल 854 की स्वीकृत स्टाफ/कर्मचारी संख्या पर आधारित थे। 2019 में हुई 202वीं BoG बैठक के दौरान पारित प्रस्ताव, जिसमें विद्यार्थी : संकाय : स्टाफ का अनुपात 10:1:1.1 रखते हुए 1200 स्टाफ कर्मचारियों की संख्या स्वीकृत की गई थी तथा उसके बाद विद्यार्थी संख्या में हुई निरंतर वृद्धि को ध्यान में रखते हुए, 1200 की स्वीकृत स्टाफ संख्या के वितरण की प्रक्रिया आगे बढ़ाना आवश्यक समझा गया। एक समिति का गठन किया गया ताकि 1200 स्वीकृत स्टाफ पदों का उपयुक्त वितरण प्रस्तावित किया जा सके, जो भर्ती और पदोन्नति नियम – 2022 की संरचना और प्रावधानों के अनुरूप हो।

आर.पी.आर.-2022 के अंतर्गत स्वीकृत पदों, विभिन्न संवर्गों (कैडर) के लिए निर्धारित भर्ती पद्धतियों एवं कोटाओं (Quotas) तथा संस्थान की कार्यात्मक आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए समिति ने इस विषय की विस्तार से समीक्षा की। इस मूल्यांकन के आधार पर, समिति ने 1200 कर्मचारियों की संख्या के संशोधित वितरण के लिए अपनी अनुशंसा प्रस्तुत कीं।

बोर्ड ने प्रस्ताव पर विस्तार से चर्चा की और निम्नलिखित निर्णय लिए:

<u>संकल्प संख्या BG/31/2025:</u>	यह निर्णय लिया गया कि: समिति द्वारा भर्ती एवं पदोन्नति नियम–2022 में दिए गए फ्रेमवर्क के अनुसार अनुशंसित कुल 1200 पदों वाली संशोधित स्टाफ कर्मचारी वितरण [परिशिष्ट-6] को अनुमोदित किया जाए। आगे यह भी निर्णय लिया गया कि: बोर्ड के निर्णय की सूचना शिक्षा मंत्रालय को दी जाए।

मद संख्या 21: कार्य प्रभारित (वर्क चार्ज) कर्मचारियों को नियमित कर्मचारियों के सामान लाभ देने पर विचार करना।

बोर्ड को संस्थान के कार्य प्रभारित (वर्क चार्ज) कर्मचारियों के सेवा लाभों से जुड़े पृष्ठभूमि और विकास के बारे में बताया गया। यह नोट किया गया कि BoG संकल्प संख्या BG/117/92 के अनुसार, निदेशक को कार्य प्रभार (वर्क चार्ज) आधार पर नियुक्त कर्मचारियों को संस्थान के नियमित कर्मचारियों के समान सेवा लाभ प्रदान करने पर विचार करने के लिए अधिकृत किया गया था, जो कि पूर्ववर्ती BoG संकल्प संख्याओं BG/85/86, BG/84/88 तथा BG/84/86 के अनुरूप है।

बोर्ड ने कार्य प्रभारित कर्मचारियों को पहले से दिए गए सेवा लाभों को जारी रखने के संबंध में समिति की अनुशंसा पर ध्यान दिया और साथ में यह भी कि आर.पी.आर.-2022 के तहत कुछ लाभ को बढ़ाया जाए, विशेषकर उन्नयन (upgradation) और विलय (merger) से संबंधित, प्रदान किये जाये लेकिन ऐसे उन्नयन को पदोन्नति (promotion) न माना जाए, यह ध्यान में रखते हुए कि कुछ RPR प्रावधानों को विशिष्ट मंत्रालय की मंज़ूरी है और इसे यथोचित परिवर्तनों के साथ लागू नहीं किया जा सकता है।

उचित विचार-विमर्श के बाद, बोर्ड द्वारा निम्नलिखित निर्णय लिया गया:

<u>संकल्प संख्या BG/32/2025:</u>	यह निर्णय लिया गया कि: संस्थान के कार्य प्रभारित (वर्क चार्ज) कर्मचारियों को नियमित कर्मचारियों के सामान, बिना किसी पदोन्नति के, आर.पी.आर. 2022 के अंतर्गत उन्नयन और विलय का लाभ दिया जाए। आगे निर्णय लिया गया कि: इस तरह के उन्नयन/विलय से होने वाले वित्तीय लाभ कार्य प्रभारित (वर्क चार्ज) कर्मचारियों को आर.पी.आर. 2022 के कार्यान्वयन होने की तिथि से प्रदान किये जाएँ। सभी पात्र कार्य प्रभारित कर्मचारियों (वर्क चार्ज) को भी बकाया राशि (arrears) का भुगतान किया जाएगा, जिसमें वे कर्मचारी भी शामिल हैं जो लागू होने की तिथि के बाद सेवानिवृत्त हुए हैं।

मद संख्या 22: शैक्षणिक इकाइयों के संस्थान-व्यापी समीक्षा और दृष्टि (visioning) निर्धारण प्रक्रिया के बारे में सूचित करना।

बोर्ड को बताया गया कि संस्थान ने अपनी शैक्षणिक इकाइयों की मौजूदा स्थिति और भविष्य की दिशा का मूल्यांकन करने के उद्देश्य से एक व्यापक समीक्षा और विज़न निर्धारण पहल आरम्भ की है। यह पहल संस्थान के विभिन्न क्षेत्रों में निरंतर उत्कृष्टता, प्रासंगिकता और इंटीग्रेशन सुनिश्चित करने के लिए एक व्यापक रणनीतिक ढांचे का हिस्सा है।

बोर्ड को यह भी सूचित किया गया कि कई शैक्षणिक इकाइयों की पहले ही गहन समीक्षा की जा चुकी है। ये समीक्षाएँ उनके कार्य की प्रकृति और दायरे के अनुसार व्यक्तिगत रूप से या समूहों में की गई समीक्षाएँ ऐसे पैनलों द्वारा की गईं जिनमें अकादमिक और उद्योग क्षेत्रों के प्रतिष्ठित बाहरी विशेषज्ञ शामिल थे, जिन्हें उनके विषय विशेषज्ञता और रणनीतिक अंतर्दृष्टि आधार पर चुना गया था। बोर्ड ने कहा कि इस प्रक्रिया ने इकाइयों के वर्तमान प्रदर्शन, अनुसंधान और शिक्षण प्राथमिकताओं, संगठनात्मक संरचनाओं और दीर्घकालिक दृष्टि पर मूल्यवान प्रतिक्रिया प्रदान की है। बाकी शैक्षणिक इकाइयों के लिए समान समीक्षा सत्र आगामी महीनों में निर्धारित किए गए हैं। प्रत्येक इकाई को एक अनुकूलित समीक्षा प्रारूप (टेलर-मेड रिव्यू फॉर्मेट) मिलेगा, जो इस पहल के शुरुआती चरणों में स्थापित सर्वोत्तम प्रथाओं के अनुरूप होगा।

इसके साथ ही, एक वरिष्ठ सलाहकार समूह बनाने की योजना भी चल रही है जो संस्थान से जुड़े अहम मामलों पर रणनीतिक सलाह देगा।

इस समूह में ये लोग शामिल होंगे:

-वरिष्ठ शैक्षणिक प्रशासक
-उद्योग जगत के लीडर्स
-प्रतिष्ठित अल्युमनी

सलाहकार समूह प्रमुख अंतःक्षेत्रीय (क्रॉस-कटिंग) विषयों पर केंद्रित होगा, जिनमें शामिल हैं:

-प्रशासनिक पुनर्गठन
-परिसर एकीकरण और समन्वय
-बड़े पैमाने पर, अंतःविषय पहलें

समीक्षा प्रक्रिया की प्रगति तथा प्रारंभिक परिणामों पर एक अंतरिम अद्यतन बोर्ड के साथ साझा किया जाएगा।

एकत्रित प्रतिक्रिया (फीडबैक) को संश्लेषित किया जाएगा और आने वाले वर्षों में रणनीतिक योजना और संसाधन आवंटन को सूचित करने के लिए उपयोग किया जाएगा। सभी समीक्षाओं और सलाहकार परामर्शों के पूरा होने पर एक अंतिम समेकित रिपोर्ट प्रस्तुत की जाएगी।

बोर्ड को सूचित किया गया कि प्रशासनिक इकाइयों की समीक्षा की भी योजना बनाई गई है।

मद संख्या 23: संस्थान में विविधता और समावेशन नीति पर विचार करना और अनुमोदित करना।

इस विषय को कार्यसूची से हटा लिया गया।

मद संख्या 24: विद्यार्थी त्रासदियों के संदर्भ में परिसर के वातावरण का अध्ययन करने और संस्थान की कार्य योजना को सूचित करने के लिए गठित समिति की रिपोर्ट प्रस्तुत करना।

बोर्ड को अवगत कराया गया कि निदेशक द्वारा हाल की विद्यार्थी त्रासदियों के संदर्भ में परिसर के वातावरण का अध्ययन करने के लिए बाहरी सदस्यों और विशेषज्ञों की एक समिति का गठन किया गया था और समिति ने अपना अध्ययन किया और अपनी विस्तृत रिपोर्ट प्रस्तुत की।

बोर्ड को आगे बताया गया कि दिनांक 22.01.2025 को आयोजित सर्व-संकाय बैठक के दौरान समिति को निष्कर्ष और अनुशंसाएँ प्रस्तुत की गई थीं और दिनांक 27.03.2025 को आयोजित संकायाध्यक्ष समिति की बैठक में भी चर्चा की गई थी। संस्थान ने रिपोर्ट को औपचारिक रूप से स्वीकार कर लिया है। बोर्ड ने नोट किया कि समिति के सदस्यों और संस्थान के प्रमुख अधिकारियों को शामिल करते हुए एक अनुवर्ती (फॉलो-अप) बैठक 24.04.2025 को आयोजित की गई थी, जहां समिति की रिपोर्ट और संस्थान की प्रस्तावित कार्य योजना पर विस्तार से चर्चा की गई थी।

समिति की रिपोर्ट, साथ ही संस्थान द्वारा किए गए / प्रस्तावित कार्यों के साथ, प्रो. बी.के. पाणिग्रही, संकायाध्यक्ष (छात्र मामले) द्वारा बोर्ड ऑफ़ गवर्नर्स के समक्ष निम्नलिखित बिंदुओं पर प्रस्तुत की गई।

- नामांकन में वृद्धि और बुनियादी ढांचे की कमी।
- विषाक्त प्रतिस्पर्धात्मक व्यवहार
- प्रवेश परीक्षाओं के प्रभाव
- संवेदनशीलता और उत्तरदायित्व की कमी
- जवाबदेही तंत्र का खराब कार्यान्वयन

बोर्ड को संस्थान के विद्यार्थी शिकायत पोर्टल (ई.आर.पी.) और परामर्श सेवाओं (सी.एस.) के बारे में भी अवगत कराया गया। बोर्ड को परामर्श आंकड़े भी प्रस्तुत किए गए। अध्यक्ष ने कहा कि विद्यार्थी अलगाव की भावना महसूस करते हैं और उन्हें एक ऐसा माहौल प्रदान किया जाए जहां वे अपने विचार व्यक्त कर सकें।

यह आवश्यक है कि सभी संकाय सदस्यों को विद्यार्थियों की भलाई के प्रति संवेदनशील बनाया जाए, जिसमें जाति-आधारित भेदभाव, रैगिंग, यौन उत्पीड़न या अन्य चिंताओं जैसे मुद्दों को शामिल किया जा सकता है। इसका अर्थ है कि प्रशिक्षण और जागरूकता कार्यक्रम लागू किए जाने चाहिए ताकि संकाय सदस्यों को ऐसी जानकारी और कौशल प्राप्त हों, जिनसे वे छात्रों की सुरक्षा, अध्ययन वातावरण और समग्र भलाई को प्रभावित करने वाले मुद्दों की पहचान और समाधान कर सकें। विद्यार्थियों को आई.आई.टी.दिल्ली में अपनेपन की भावना देने के लिए, अपनत्व और सहजता का वातावरण बनाना अत्यंत आवश्यक है। बोर्ड ने खुली चर्चा और संवाद के माध्यम से संकाय सदस्यों के विरुद्ध विद्यार्थियों की शिकायतों को कम करने की इच्छा व्यक्त की। इस दृष्टिकोण का उद्देश्य अधिक पारदर्शी और समझदारीपूर्ण वातावरण बनाना है, जिससे मुद्दों की स्पष्टता हो सके और मामलों के बढ़ने से पहले संभावित समाधान निकाले जा सकें। बोर्ड ने निर्देश दिया कि पूर्व समिति द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट की समीक्षा करने के लिए एक समिति का गठन किया जाए। बोर्ड ने सभी भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों (IITs) को वर्ष 2035 में कैसा दिखना चाहिए, इसकी कल्पना करने और परिभाषित करने के लिए एक समिति के गठन का भी निर्देश दिया।

मद संख्या 25: वर्तमान संकाय पदों (श्रेणी-वार) के बारे में बोर्ड को अवगत कराना।

बोर्ड ने 31.03.2025 तक संस्थान के वर्तमान संकाय स्थिति (श्रेणी वार) को नोट किया।

मद संख्या 26: सार्वजनिक उपयोग के लिए नहीं।

मद संख्या 27: सार्वजनिक उपयोग के लिए नहीं।

मद संख्या 28: सार्वजनिक उपयोग के लिए नहीं।

मद संख्या 29: विदेशी संकाय की अंशकालिक (पार्ट-टाइम) नियुक्ति पर विचार करना और उसे मंज़ूरी देना।

बोर्ड ने आई.आई.टी. दिल्ली में विदेशी नागरिकों (गैर-ओ.सी.आई. धारकों) को संकाय के रूप में नियुक्त करने और उन्हें बनाए रखने में आने वाली चुनौतियों का समाधान करने के उद्देश्य से एक प्रस्ताव पर विचार किया।

यह मामला इस अवलोकन के साथ पेश किया गया कि वर्तमान रोजगार मॉडल - जो 5-वर्षीय अनुबंधों पर आधारित है और स्थायी नियुक्ति नहीं है, साथ ही इसमें कम वेतन स्तर, सेवानिवृत्ति लाभों का अभाव और दीर्घकालिक पेशेवर सुरक्षा की कमी शामिल है - उच्च गुणवत्ता वाले विदेशी प्रतिभा को आकर्षित करने और उन्हें बनाए रखने में कठिनाई पैदा करता है।

इसके जवाब में, संस्थान ने विदेशी नागरिकों (नॉन-OCI) के लिए संकाय नियुक्ति की एक नई श्रेणी शुरू करने का प्रस्ताव दिया—"अर्ध-समय अनुबंध नियुक्ति" (हाफ-टाइम कॉन्ट्रैक्ट अपॉइंटमेंट)—जिसका उद्देश्य संभावित विदेशी संकाय के लिए अधिक लचीलापन और एक ज़्यादा आकर्षक सहभागिता मॉडल उपलब्ध कराना था । बोर्ड ने इस प्रस्ताव के विवरणों पर विचार-विमर्श किया।

बोर्ड ने नोट किया कि यह मॉडल दोहरे रोजगार और दीर्घकालिक जुड़ाव की अनुमति देकर पारंपरिक "विज़िटिंग फैकल्टी" नियुक्तियों से खुद को अलग करता है, जिससे संकाय सदस्य और संस्थान दोनों को पारस्परिक लाभ मिलता है। यह अंतरराष्ट्रीय प्रथाओं के अनुरूप भी है और पूर्णकालिक स्थानांतरण की बाधाओं के बिना वैश्विक विशेषज्ञता को आई.आई.टी. दिल्ली के इकोसिस्टम में लाने की एक प्रभावी रणनीति के रूप में कार्य कर सकता है।

बोर्ड ने प्रस्तावित "हाफ-टाइम कॉन्ट्रैक्ट अपॉइंटमेंट" मॉडल की खूबियों और रणनीतिक महत्व की सराहना की और निम्नलिखित निर्णय लिया:

<u>संकल्प संख्या BG/37/2025:</u>	यह निर्णय लिया गया कि: विदेशी संकाय की "हाफ-टाइम कॉन्ट्रैक्ट अपॉइंटमेंट" को निम्नलिखित शर्तों के अनुसार अनुमोदित किया जाए। 1. ये नियुक्तियां वर्तमान विदेशी संकाय दिशानिर्देशों के अनुसार 5 वर्ष की अवधि के अनुबंध (नवीनीकरणीय) के तहत होगी, जब तक कि इन दिशानिर्देशों को सरकार द्वारा बदल नहीं दिया जाता है।

	2. ऐसे संकाय सदस्यों को पूर्णकालिक कर्मचारी के समस्त दायित्व सौंपे जाएँगे, किंतु वे अपने समय के केवल 50% के लिए ही कार्यरत होंगे। 3. ऐसे संकाय सदस्य वर्ष में कुल मिलाकर 6 माह के समतुल्य समय आई.आई.टी. दिल्ली परिसर में व्यतीत करेंगे। 4. उनके पास पूर्णकालिक विदेशी संकाय सदस्यों के समान शर्तों के अंतर्गत कैरियर उन्नति की संभावना होगी। 5. वे वही लाभ प्राप्त करेंगे जो पूर्णकालिक विदेशी संकाय सदस्यों को मिलते हैं, लेकिन यह लाभ उनके आई.आई.टी. दिल्ली में व्यतीत किए गए समय के अनुसार प्रोराटा (आनुपातिक) रूप में होगा। 6. ऐसे संकाय सदस्यों के लिए पीएच.डी./एम.टेक./एम.एस.(आर.) अनुसंधान पर्यवेक्षण करने और प्रायोजित परियोजनाएँ लेने की क्षमता एक पूर्णकालिक कर्मचारी को सह-प्रधान अन्वेषक (co-PI) के रूप में सक्षम करके सुनिश्चित की जा सकती है।

मद संख्या 30: अध्यक्ष, बोर्ड ऑफ़ गवर्नर्स, आईआईटी दिल्ली के द्वारा बोर्ड ऑफ़ गवर्नर्स की ओर से लिए गए निर्णयों को अनुमोदित करना।

बोर्ड ने नीचे दिए गए विवरण के अनुसार बोर्ड के अध्यक्ष ने, बोर्ड ऑफ़ गवर्नर्स द्वारा दिए गए अनुमोदन की पुष्टि की:

क. शैक्षणिक/गैर-शैक्षणिक स्टाफ कर्मचारियों की नियुक्तियों की पुष्टि।

क्र.सं.	नाम, पदनाम एवं विभाग/केंद्र	नियुक्ति तिथि	परिवीक्षा अवधि	स्थायीकरण तिथि
1.	प्रो. प्रतीक दास सहायक प्रोफ़ेसर ग्रेड-I यांत्रिक इंजीनियरी	20.03.2024	एक वर्ष	20.03.2025
2.	प्रो. राहुल नारायण सह प्रोफ़ेसर कंप्यूटर विज्ञान एवं इंजीनियरी	19.02.2024	एक वर्ष	19.02.2025
3.	प्रो. हेमंत कुमार कुंडू सहायक प्रोफ़ेसर ग्रेड-I भौतिकी विभाग	23.04.2024	एक वर्ष	23.04.2025
4.	प्रो. जतिन पंवार सहायक प्रोफ़ेसर ग्रेड-I जैव रासायनिक इंजीनियरी एवं जैव प्रौद्योगिकी	30.04.2024	एक वर्ष	30.04.2025

5.	प्रो. अभिषेक सरकार सहायक प्रोफ़ेसर ग्रेड-I पदार्थ विज्ञान एवं इंजीनियरी	29.04.2024	एक वर्ष	29.04.2025
6.	प्रो. अर्त प्रत्यक्ष कारला सहायक प्रोफ़ेसर ग्रेड-I जैव चिकित्सा इंजीनियरी	17.03.2024	एक वर्ष	17.03.2025
7.	प्रो. सौरभ राठौर सहायक प्रोफ़ेसर ग्रेड-I वायुमंडलीय विज्ञान	23.02.2024	एक वर्ष	23.02.2025
8.	श्री अशोक कुमार सिंह सहायक कार्यपालक अभियंता (सिविल)	03.03.2023	एक वर्ष	03.03.2024
9.	प्रो. प्रियंका कौशल प्रोफ़ेसर ग्रामीण विकास एवं प्रौद्योगिकी	03.04.2024	एक वर्ष	03.04.2025
10	प्रो. जतिंद्र कुमार साहू प्रोफ़ेसर ग्रामीण विकास एवं प्रौद्योगिकी	03.04.2024 (अपराह्न)	एक वर्ष	04.04.2025 (पूर्वाह्न)

ख. संस्थान में विभिन्न पदों की चयन समितियों/स्थायी समिति/पुरस्कार समिति का कार्यवृत्त।

क्र.सं.	पदनाम	चयनित उम्मीदवारों के नाम	विभाग /केंद्र	बैठक दिनांक
i.	<u>चयन समिति</u>			
1.	सहायक प्रोफ़ेसर	प्रो. सहाना होल्ला	जैव रासायनिक इंजीनियरी एवं जैव प्रौद्योगिकी	12.01.2025
2.	प्रोफ़ेसर	1. प्रो. अंकुश अग्रवाल 2. प्रो. दिव्या द्विवेदी	मानविकी एवं सामाजिक विज्ञान	27.01.2025
3.	प्रोफ़ेसर	प्रो. अनूप सिंह	जैव चिकित्सा इंजीनियरी	28.01.2025
4.	सह प्रोफ़ेसर	1. प्रो. मिनाते डे 2. प्रो. विकास विक्रम सिंह	गणित	24.01.2025
5.	प्रोफ़ेसर	कोई भी उपयुक्त नहीं	गणित	24.01.2025
6.	सहायक प्रोफ़ेसर	प्रो. आयुष कान्त	जैव चिकित्सा इंजीनियरी	28.01.2025
7.	सहायक प्रोफ़ेसर	प्रो. गौरव चोपड़ा	अनुप्रयुक्त यांत्रिकी	07.03.2025

8.	प्रोफ़ेसर	प्रो. अमलेंदु कुमार दुबे	प्रबंध अध्ययन	27.02.2025
9.	सह प्रोफ़ेसर	1. प्रो. अर्नब बनर्जी 2. प्रो. सैकत सरकार 3. प्रो. आर्य वी.	सिविल	05.03.2025
10.	सह प्रोफ़ेसर	प्रो. नीरू चौधरी	प्रबंध अध्ययन	27.02.2025
11.	सह प्रोफ़ेसर	प्रो. विवेक वेंकटरमण	विद्युत	07.03.2025
12.	सह प्रोफ़ेसर	प्रो. विजयकुमार नारायणदास बहेती	वस्त्र एवं रेशा	24.01.2025
13.	प्रोफ़ेसर	प्रो. ऋत्विक दास	ऑप्टिक्स एवं फोटोनिक्स	23.01.2025
14.	सहायक प्रोफ़ेसर	प्रो. देबिदास कुंडू	विद्युत	04.04.2025
15.	सह प्रोफ़ेसर	प्रो. राकेश चतुर्वेदी	मानविकी एवं सामाजिक विज्ञान	08.04.2025
16.	सहायक प्रोफ़ेसर	1. प्रो. स्नेहा लाम्बा 2. प्रो. विनय सुहालका	मानविकी एवं सामाजिक विज्ञान	08.04.2025
17.	सहायक प्रोफ़ेसर	प्रो. आधी ए.	ऑप्टिक्स एवं फोटोनिक्स	02.04.2025
18.	सहायक प्रोफ़ेसर	कोई उपयुक्त नहीं	प्रबंध अध्ययन	09.04.2025
19.	सहायक प्रोफ़ेसर	कोई उपयुक्त नहीं	ऑप्टिक्स एवं फोटोनिक्स	02.04.2025
20	सहायक प्रोफ़ेसर	कोई उपयुक्त नहीं	ऑप्टिक्स एवं फोटोनिक्स	02.04.2025
21.	सह प्रोफ़ेसर	प्रो. सुमित कुमार चट्टोपाध्याय	उर्जा विज्ञान एवं इंजीनियरी	17.02.2025`
22	सहायक प्रोफ़ेसर	उम्मीदवार ने नाम वापस लिया	ऑप्टिक्स एवं फोटोनिक्स	02.04.2025
23	सहायक प्रोफ़ेसर	प्रो. अविनाश जैन	प्रबंध अध्ययन	09.04.2025
24	सहायक प्रोफ़ेसर	1. प्रो. मोनिका मकवाना 2. प्रो. सुगत चतुर्वेदी	सार्वजनिक नीति स्कूल	16.04.2025
25	सहायक प्रोफ़ेसर	प्रो. विकास निमेश	सार्वजनिक नीति स्कूल	16.04.2025
26	सहायक प्रोफ़ेसर	प्रो. आदर्श बारीक	कंप्यूटर विज्ञान एवं इंजीनियरी	21.04.2025
27	सहायक प्रोफ़ेसर	प्रो. तरुण खन्ना	सार्वजनिक नीति स्कूल	16.04.2025
28	सहायक प्रोफ़ेसर	प्रो. संकल्प तिवारी	अनुप्रयुक्त यांत्रिकी	24.04.2025
ii.	<u>स्थायी समिति</u>			
1.	प्रोफ़ेसर ऑफ़ प्रैक्टिस (पीओपी)	प्रो. अजय माथुर	सार्वजनिक नीति स्कूल	28.03.2025
2.	विज़िटिंग प्रोफ़ेसर	प्रो. सव्यसाची	मानविकी एवं सामाजिक विज्ञान	29.04.2025

ग. अनुमोदन के लिए विविध मामले।

(i) प्रो. ममिदाला जगदीश कुमार, प्रोफ़ेसर, विद्युत इंजीनियरी विभाग का सेवानिवृत्ति के लिए यू.जी.सी. से प्रतिनियुक्ति पर आई.आई.टी. दिल्ली में प्रदान की गई उनकी सेवा की गिनती का विकल्प देने का अनुरोध। (सी.बी.जी.-34)

(ii) कार्बन कैप्चर एंड बियॉन्ड (CCB) पर अंतरराष्ट्रीय कार्यशाला एवं संगोष्ठी के लिए आई.आई.टी.दिल्ली–अबू धाबी की आधिकारिक यात्रा हेतु अनुमोदन। (सी.बी.जी.-32)

(iii) प्रो. भाबनी कुमार सतपथी द्वारा प्रोफ़ेसर के रूप में आई.आई.टी. जोधपुर में शामिल होने हेतु लियन प्रदान किए जाने का अनुरोध।

(iv) मौजूदा एम्स दरों के बजाय इनडोर ट्रीटमेंट (आई.पी.डी.) की चिकित्सा प्रतिपूर्ति में सी.जी.एच.एस. (CGHS) दरों के प्रस्ताव पर विचार। (सी.बी.जी.-39)

(v) सार्वजनिक उपयोग के लिए नहीं।

(vi) इस संस्थान में प्रतिनियुक्ति के आधार पर कार्यकारी अभियंता (सिविल) के रूप में श्री कृपा शंकर त्रिपाठी का कार्यकाल विस्तार। (सी.बी.जी.-46)

(vii) इस संस्थान में प्रतिनियुक्ति के आधार पर कार्यरत श्री कृपा शंकर त्रिपाठी को कार्यकारी अभियंता (सिविल) के पद से कार्यमुक्त किए जाने एवं प्रत्यावर्तन का विषय। (सी.बी.जी.-49)

(viii) श्री पवन कुमार शर्मा का उनके मूल विभाग (चंडीगढ़ प्रशासन, चंडीगढ़) में पुनः नियुक्ति के संबंध में अनुरोध। (सी.बी.जी.-48)

(ix) प्रो. अतुल कुमार मित्तल को सिविल इंजीनियरिंग विभाग में प्रोफ़ेसर के पद पर पुनर्बहाली हेतु आदेश। (सी.बी.जी.-63)

(x) प्रो. हरीश हिरानी द्वारा निदेशक के रूप में RGIPT, अमेठी, उत्तर प्रदेश में शामिल होने हेतु लियन प्रदान किए जाने का अनुरोध। (सी.बी.जी.-59)

(xi) तकनीकी अधिकारी के पद के लिए नियुक्ति प्रस्ताव को पुनः खोलने हेतु प्रस्ताव। (सी.बी.जी.-57)

(xii) इस संस्थान में प्रतिनियुक्ति के आधार पर कार्यरत श्री राजीव कुमार, संस्थान अभियंता को कार्यमुक्त करने और उनके मूल विभाग में पुनःनियुक्ति का विषय।(सी.बी.जी.-38)

(xiii) संस्थान के कानूनी सलाहकार की नियुक्ति अवधि का विस्तार और मासिक रिटेनरशिप में वृद्धि।

(xiv) 01.01.2025 से महंगाई भत्ता (DA) की दर को 53% से बढ़ाकर 55% लागू करना।

(xv) प्रो. मनमोहन प्रसाद गुप्ता के आई.आई.एम. लखनऊ में निदेशक के रूप में शामिल होने हेतु लियन(Lien) देने का अनुरोध। (सी.बी.जी.-64)

(xvi) मानद प्रोफ़ेसर के रूप में नियुक्ति के लिए सेवानिवृत्त प्रोफ़ेसर के मामलों पर विचार करने के लिए चयन समिति के कार्यवृत्त। (सी.बी.जी.-52)

(xvii) संस्थान में चेयर प्रोफ़ेसर की नियुक्ति के लिए चयन समिति के बैठक के कार्यवृत्त। (सी.बी.जी.-51)

(xviii) वर्ष 2025-26 के लिए शिक्षा मंत्रालय के साथ आई.आई.टी.(s) के समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर। (सी.बी.जी.-77)

(xix) आई.आई.टी. दिल्ली, अबू धाबी के लिए निदेशक की आधिकारिक यात्रा को मंजूरी। (सी.बी.जी.--73)

(xx) प्रो. सौरभ राजेंद्र गांधी, सहायक प्रोफेसर (ग्रेड-I), विद्युत इंजीनियरी विभाग (सी.बी.जी.-71) द्वारा दिए गए तकनीकी इस्तीफे की स्वीकृति।

(xxi) प्रो. गायत्री भरथन, सहायक प्रोफ़ेसर ग्रेड-I, प्रकाशिकी एवं फोटोनिक्स केंद्र की EOL (छुट्टी) को छह महीने के लिए बढ़ाने का अनुरोध। (सी.बी.जी.-74)

(xxii) सेवानिवृत्ति के बाद अकादमिक सत्र की समाप्ति तक, अर्थात् 30 जून, 2026 तक अकादमिक स्टाफ सदस्य की पुनः नियुक्ति। (सी.बी.जी.-79)

मद संख्या 31-बोर्ड ऑफ़ गवर्नर्स की जानकारी के लिए कुछ मामलों की रिपोर्ट प्रस्तुत करना।

बोर्ड ऑफ़ गवर्नर्स द्वारा निम्नलिखित बैठकों के कार्यवृत्त नोट किए गए:

वित्त समिति के कार्यवृत्त

24 जनवरी, 2025 को 135वीं बैठक आयोजित की गई।

सीनेट के कार्यवृत्त

27 नवम्बर, 2024 को 230वीं बैठक आयोजित की गई।

19 फरवरी, 2025 को 231वीं बैठक आयोजित की गई।

कार्यकारी समिति (ECS) के कार्यवृत्त

05 नवम्बर, 2024 को 162वीं बैठक आयोजित की गई।

भवन एवं कार्य समिति के कार्यवृत्त

26 दिसम्बर, 2024 को 142वीं बैठक आयोजित की गई।